निर्णय बइजलास शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 47/2019 प्रा. पत्र

निर्णय दिनांक :– 09.12.2019

अनवान

1. श्री छोगा लाल पिता लच्छी राम जी कलाल निवासी देवगढ जिला राजसमन्द

———प्रार्थी

बनाम

1. श्री सोहन लाल पिता लच्छी राम जी कलाल आयु बालिग निवासी देवगढ तहसील देवगढ
2. श्री अशोक कुमार पिता चम्पालाल जी कलाल आयु बालिग निवासी देवगढ तहसील देवगढ़

———विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज0 ले0रे0 एक्ट

प्राथी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्राप्त हुआ कि प्रार्थी भूमि ग्राम देवगढ तहसील देवगढ मे स्थित है जिसके ख. नं. 1653/1 शा.नं. 1654 रकबा 0.06.05 बिस्वा है एवं ख.नं. 1655 रकबा 0.05 बिस्वा चाल नं. 1658 से सिचित होने वाली होकर स्थित है। उक्त भूमि मेरे खाते व आधिपत्य की है। उक्त वर्णित आराजियात पर विपक्षी सं. 1–2 के खाते की कृषि भूमि से मिली हुई है। उक्त वर्णित भूमियो की प्रार्थी ने अभी तक पत्थरगढी नही कराई है। प्राथी की इस प्रार्थना पत्र की जो भूमियां है उससे विपक्षी सं. 1–2 की कृषी भूमि मिली हुई है परन्तु प्रार्थी की इस प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमियो की अबतक पत्थरगढी नही कराने से प्रार्थी व विपक्षीगण के बीच फसल बोते समय फसल व घास काटते समय सीमा संबंधी विवाद होता रहता है। इसलिये उक्त वर्णित भूमियो की पत्थरगढी कराना प्रार्थी के लिये आवष्यक हो गया है। प्रार्थी अपनी इन भूमियो की पत्थरगढी कराना चाहता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि जो ग्राम देवगढ मे तहसील देवगढ मे स्थित होकर आ.नं. 1653/1 शा.नं. 1654 रकबा 0.06.05 व आ.नं. 1655 रकबा 0.05 बिस्वा है कि मौके पर पत्थरगढी कराये जाने के आदेष प्रदान कराये जावे।

प्राथी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्यत्तर में विपक्षीगण को सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जवाब पेष नही किया बल्की बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिस पर विपक्षीगण के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही की गई है। ग्राम

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला राजसमन्द

देवगढ तहसील देवगढ की जमाबंदी संवत् 2070 से 2073 में प्राथी उक्त भूमि का खातेदार है। खातेदार उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम देवगढ तहसील देवगढ मे स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमि आराजी नं. 1653/1 शा.नं. 1654 रकबा 0.06.05 बिस्वा व आराजी नं. 1655 रकबा 0.05 बिस्वा को चाल नं. 1658 से सिंचित होती है की पत्थरगढी कराने के आदेष दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ को लिखा जावे कि पक्षकारान को सूचना पत्र जारी किये जाकर उनकी उपस्थिती मे मौके पर पत्थरगढी कर रिपोर्ट न्यायालय मे पेष करे। तहसीलदार देवगढ नियमानुसार प्रार्थी से पत्थरगढी शुल्क वसूल करे।

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

सहायक कलेक्टर
देवगढ़